No.विपणन-नीलामी/0021/2015 दिनांक: 12 अप्रैल, 2018

इलायची की नीलामी के संचालन के लिए नीलामकर्ता लाइसेंस प्रदान करने पर विचार करने हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) का आमंत्रित करना

बोर्ड ब्लॉक वर्ष 2017-2020 के लिए इलायची की नीलामी के लिए नीलामीकर्ताओं को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। उक्त ब्लॉक अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान करने पर विचार करने के लिए भावी उद्यमियों / नीलामकर्ताओं से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित है। विवरण, लागू दिशानिर्देश और निर्धारित आवेदन प्रपत्र नीचे दिए गए हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ईओआई के लिए आवेदन जमा करने से पहले उसे पढें। उपरोक्त ईओआई में कोई भी शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, संशोधन, समय विस्तार, स्पष्टीकरण आदि हमारी वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। संभावित बोलीदाताओं को समय-समय पर बोर्ड की वेबसाइट पर शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, का नोट कर लेना चाहिए ।

आवेदकों के चयन के बारे में मसाले बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। बोर्ड कोई भी कारण बताए बिना किसी भी पात्रता शर्तों को संशोधित करने या परिवर्तित करने या ईओआई को रद्द करने का अधिकार रखता है या कोई कारण बताए बिना ताजा ईओआई आमंत्रित कर सकता है, यदि वह सार्वजनिक हित में उचित प्रतीत होता है। आवेदकों का चयन दिशानिर्देशों में निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगा। दिशानिर्देशों, दस्तावेजों में उल्लिखित पूरी जानकारी प्रस्तुत करने में चूक होना या एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिशानिर्देशों को पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं है और हर मामले में आवश्यक दस्तावेज बोलीदाताओं के जोखिम पर होंगे और परिणामस्वरूप शॉर्ट लिस्टिंग के निरस्त करने का कारण बन सकता है। ईओआई के लिए आमन्त्रण एक प्रस्ताव नहीं है और कोई प्रतिबद्धता के साथ जारी नहीं किया जाता है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने से प्रत्येक बोलीदाता को समझा जाएगा कि उसने दिशानिर्देशों और अनुलग्नक को ध्यान से पढ़ा है, यदि कोई है, और पूरी तरह से सभी मौजूदा परिस्थितियों और सीमाओं के रूप में सूचित किया है। बिचौलियों के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिक्रियाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा। इस अभिरुचि की अभिव्यक्ति का उद्देश्य छोटी और बड़ी इलायची की नीलाम प्रक्रिया में भागीदारी हेतु वर्तमान नीलामकर्ता सहित इच्छुक नीलामकर्ताओं से प्रस्तावों की मांग करना है। अधूरे आवेदनों को खारिज कर दिया जाएगा और इस मामले में किसी भी प्रकार का पत्राचार नहीं होगा। अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के साथ कोई शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

जो लोग नीलामकर्ता के रूप में लाइसेंस प्रदान करने पर विचार करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इच्छुक हैं, वे अपने ईओआई निदेशक (विपनन), मसाले बोर्ड, कोच्ची को प्रस्तुत कर सकते हैं।

I) **सामान्य**

1. ईओआई युक्त लिफाफे को "2017-2020 के लिए नीलामी लाइसेंस के लिए ईओआई" ऐसा ऊपर लिखा जाना चाहिए और श्री पी.एम. सुरेषकुमार, निदेशक (विपणन), मसाला बोर्ड, पालारिवट्टम पीओ, कोच्ची -682 025 के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए।

2. ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल, 2018 तय की है।

3. आखिरी तारीख के बाद प्राप्त ईओआई पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. ईओआई प्रस्तुत करने पर लाइसेंस देने की गारंटी नहीं है। लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र और दस्तावेजों के सत्यापन और लाइसेंस प्रदान करने हेतु निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के अधीन लाइसेंस प्रदान किया जाएगा ।

5. बोर्ड, उद्योग के हित के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु अतिरिक्त मानदंड, जो भी आवश्यक पाया जाए, शामिल करने का अधिकार रखता है।

II नीलामकर्ता लाइसेंस ज़ारी करने हेतु दिशा-निर्देश

इलायची (अनुज्ञापन और विपणन) नियम 1987 के अनुसार नीलामी लाइसेंस के मुद्दे के लिए दिशानिर्देश हैं और 2014 और 2018 में इसके बाद के संशोधन निम्नानुसार हैं:-

1. बोर्ड ने केरल के पुट्टडी और तमिलनाडु के बोडिनायकन्नूर में छोटी इलायची के लिए ई-नीलामी केंद्र स्थापित किए हैं। ई-नीलामी के लिए लाइसेंस केवल इन केंद्रों केलिए जारी किए जाएंगे।
2. छोटी इलायची के लिए मैनुअल नीलामी केंद्र केरल और तमिलनाडु राज्यों को छोडकर भारत में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है।
3. बडी इलायची के लिए मैनुअल नीलामी केंद्र भारत में कहीं भी विकसित किया जा सकता है।
4. मसाला बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार मैनुअल नीलामी चलाने के लिए सुविधा स्थापित करने की जिम्मेदारी नीलामकर्ता का है।
5. आवेदक कंपनी अधिनियम, 1956 या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 या भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत पंजीकृत होगा या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक चैरिटेबल सोसायटी होगा।
6. ई-नीलामी लाइसेंस के लिए आवेदक एक राष्ट्रीयकृत बैंक या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी बैंक से बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा और बैंक गारंटी की राशि लगभग पिछले फसल-मौसम के दौरान एक नीलामी में बेची गयी इलायची के औसत मूल्य के बराबर होगी। फसल के मौसम 2017-18 के रिकॉर्ड में उपलब्ध

आंकड़ों के आधार पर, बैंक गारंटी की अनुमानित राशि 4 करोड़ रुपये से लेकर 7 करोड़ रुपये तक होगी। निर्धारित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले वास्तविक राशि चयनित आवेदकों को सूचित की जाएगी ।

7. मैनुअल नीलामकर्ता लाइसेंस प्रदान करने के लिए बैंक गारंटी लागू नहीं है।
8. ईओआई के सत्यापन के बाद, बोर्ड, लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु नियमों और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए आवेदकों के साथ एक बोली पूर्व चर्चा का आयोजन करेगा।

III.) सामान्य नियम और शर्तें

1. लाइसेंस जारी करने के लिए शुल्क

नीलामकर्ता लाइसेंस के लिए देय शुल्क निम्नानुसार है:

(क) मैनुअल नीलामी केलिए 15,000 / - रुपए और जीएसटी

(ख) बोर्ड द्वारा स्थापित सामान्य ई-नीलामी केंद्रों में ई-नीलामी 1,00,000 / - रु. और जीएसटी।

2. बोर्ड की सामान्य सुविधा का उपयोग करके ई-नीलामी आयोजित करने के लिए, नीलामीकर्ता को नीलामी में बेची जानेवाली प्रति टन इलायची केलिए 380 रू., और जी एस टी जैसेकि लागू हो, उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करना होगा ।
3. उस राज्य में, जहां बोर्ड ने ई-नीलामी केंद्रों की स्थापना की है, कोई मैनुअल नीलामीकर्ता लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
4. नीलामकर्ता, जिनकी इलायची जमा की जाती है, नीलामी की तारीख से 10 कार्य दिवसों के भीतर नीलामी में बिकने वाली इलायची के लागू बिक्री मूल्य का भुगतान करेगा। यदि नीलामीकर्ता लाइसेंस के नियमों और शर्तों के मुताबिक भुगतान करने से चूक करता है, तो बोर्ड बैंक गारंटी आमंत्रित करने और उत्पादकों की देय राशि के निपटान के लिए उसके लाभ का उपयोग करने और लाइसेंस के निलंबन और / या रद्द करने के लिए कदम उठाने का हकदार होगा ।
5. मैनुअल नीलामी के मामले में, यदि नीलामीकर्ता लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुसार भुगतान करने से चूक करता है, तो बोर्ड निलंबन और / या लाइसेंस रद्द करने सहित नीलामकर्ता के खिलाफ कदम उठाएगा।
6. बोर्ड की संतुष्टि के लिए सुविधाजनक स्थानों पर इलायची को जमा करने हेतु किसानों को नीलामीकर्ता आवश्यक सुविधा प्रदान करेगा। ऐसे जमा केंद्रों में, नीलामकर्ता इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन और आर्द्रता मीटर प्रदान करेगा।
7. नीलामकर्ता को नीलामी एक जगह पर और बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट दिन और समय पर आयोजित करनी होगी।
8. नीलामी में पूलिंग के लिए पेशकश की गई इलायची के प्रत्येक लॉट (किसान द्वारा वांछित नीलामी के लिए जमा इलायची की मात्रा) से 1500 ग्राम और लिए गए नमूने की मात्रा को ज़ारी किए फ़सल स्लिप में दर्ज करके उस व्यक्ति को जारी किया जाना चाहिए जिससे इलायची जमा की गई थी। निकाले गए नमूने में से, 100 ग्राम खरीददार नमूने के रूप में अलग रखा जाएगा और 50 ग्राम को नीलामी केंद्र में प्रदर्शित किया जाएगा। शेष 1350 ग्राम को नीलामकर्ता द्वारा बोली लगाने की प्रक्रिया के दौरान नमूनों के वितरण के लिए

इस्तेमाल किया जा सकता है। नीलामकर्ता 1350 ग्राम इलायची (निकाले गए नमूने से) के मूल्य को वापस करेगा। इलायची जमा करने वाले व्यक्ति को नीलामकर्ता द्वारा देय रशि, नमूना वापसी मूल्य धना किसी नीलाम में जिस मूल्य पर लॉट की बिक्री की गैइ है, उस कुल राशि से पात्र 1% कमीशन को घटाकर शेष राशि, होगी। अपव्यय, वजन की हानी , दान आदि के नाम पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं घटाया जा सकता है।

9. नीलामकर्ता उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कमीशन के तौर पर बिक्री-मूल्य के एक प्रतिशत से ज्यादा चार्ज नहीं करेगा ।

10. नीलामकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि नीलामी में पूल की गई इलायची किसी भी मिलावट, संदूषण और कृत्रिम रंग से मुक्त है।

IV. निर्धारित आवेदन प्रपत्र

क) इलायची (छोटी) की ई-नीलामी के लिए ईओआई प्रस्तुत करने का आवेदन प्रपत्र।

संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, मोबाइल, ई-मेइल आदि के साथ आवेदक का नाम और पता।	
नीलामी के संचालन में, खासकर कृषि जिन्सों के लिए, यदि कोई हो, पिछले अनुभव का विवरण	
इ-नीलामी आयोजित करने के लिए प्राथमिकता का केंद्र निर्दिष्ट करें	बोडिनायकन्नूर, तमिलनाडु पुट्टडी, केरल
जीएसटी पंजीकरण विवरण	
पैन नंबर और टीआईएन नंबर	
पूलिंग के लिए उपलब्ध भंडारण सुविधाओं का विवरण	स्थान मकान की प्रकृति: मकान की स्थिति: क्षमता:
उपलब्ध सफाई और ग्रेडिंग सुविधाओं का विवरण	
हस्ताक्षर	

ख) इलायची (छोटी/बडी) में मैनुअल नीलामी के संचालन के लिए ईओआई प्रस्तुत करने के लिए आवेदन प्रपत्र

संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, मोबाइल, ई-मेल आदि के साथ आवेदक का नाम और पता

नीलामी के संचालन में, खासकर कृषि जिन्सों के लिए, यदि कोई हो, पिछले अनुभव का विवरण

कृपया फसल को टिक करें जिसके लिए ईओआई प्रस्तुत किया गया है	इलायची (छोटी) इलायची (बडी)

1. नीलामी आयोजित करने के लिए प्राथमिकता का राज्य निर्दिष्ट करें

2. मैनुअल नीलामी के संचालन के लिए उपलब्ध सुविधाएं

3. स्थान, पता, नीलामी हॉल क्षेत्र, उपलब्ध सुविधाएं और मौजूदा / प्रस्तावित नीलामी केंद्र के अन्य संगत विवरण।

जीएसटी पंजीकरण विवरण

पैन नंबर और टीआईएन नंबर

पूलिंग के लिए उपलब्ध भंडारण सुविधाओं का विवरण	स्थान; मकान की प्रकृति: मकान की स्थिति: क्षमता:

उपलब्ध सफाई और ग्रेडिंग सुविधाओं का विवरण

हस्ताक्षर